161

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 605—चार/2004 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 23—02—2004 के द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर, भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 49/2002—03/निगरानी

.....

कमलादेवी पुत्री श्री छविराम पत्नी श्री जवरसिंह,
निवासी —फूफ, परगना, जिला—भिण्ड (म0प्र0)

..... आवेदिका

विरूद्ध

1— मनोजकुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा
निवासी—फूफ, परगना व जिला भिण्ड, (म0प्र0)

2— बृजेशकुमार दत्तक पुत्र श्री महावीर प्रसाद
निवासी—फूफ हाल गौरी के किनारे नई आवादी,
मरघट के पास, भिण्ड, (म0प्र0)

3— शारदा देवी पत्नी श्री महावीर प्रसाद

4— मनोरमा पुत्री महावीर प्रसाद पत्नी वैजन
निवासी—दीनदयाल नगर, एच—78, ग्वालियर(म0प्र0)

5— ऊषा पुत्री महावीर प्रसाद,
निवासी—गायत्री नगर, भारत पेट्रोल पंप के पीछे, मुरैना

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 19.9.2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर, भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 49/2002—03/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23—02—2004 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि मौजा फूफकंला स्थित खाता क्रमांक 278, 274 तथा मौजा फूफखुर्द के खाता क्रमांक 91, 92 में मृतक भूमिस्वामी महावीर पुत्र छविराम के मौत हो जाने से नायब तहसीलदार फूफ के न्यायालय अनावेदकगण द्वारा वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया । जिस पर प्रकरण में आपत्ति प्रस्तुत की गई तथा आवेदिका द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के पूर्व भूमिस्वामी छविराम की पुत्री होकर मृतक छविराम के नाम की समस्त भूमि उसके मृतक भाई महावीर व रामशंकर द्वारा गोपनीय तौर पर वर्ष 1975 में नामांतरण करा लिया है । इस कारण उसके द्वारा दीवानी न्यायालय में स्वत्व धोषणा का आवेदन दिया जाकर न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। अतः दीवानी निराकरण तक नामांतरण की कार्यवाही स्थागित की जाये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन आलोच्य आदेश दिनांक 04.04.03 से निरस्त कर दिया । जिससे परिवेदित होकर आवेदिका द्वारा निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर, भिण्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई। कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण क्रमसंक 8/2002–03/अ–6 विधिवत पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 23.02.2004 को नायब तहसीलदार के आदेश को स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि दीवानी दावा के दौरान महावीर प्रसाद की मृत्यु होने से उनके वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने की कार्यवाही विचाराधीन हैं । इधर अधीनस्थ न्यायालय से महावीर प्रसाद के वारिसान की जांच कर रिकॉर्ड पर लिये जाने की कार्यवाही प्रारंभ किया जाना कानूनन गलत हैं, क्योंकि एक प्रोसीडिंग एक दूसरे को प्रभावित करेगी, तथा एक ही बिन्दु पृथक–पृथक न्यायालयों में विचाराधीन होकर निर्णीत होना कानूनन गलत हैं । यहॉ यह भी विचारणीय प्रष्न हैं कि राजस्व न्यायालय के निर्णय से व्यवहार न्यायालय प्रतिवांछित नहीं हैं, जबकि सिविल कोर्ट का निर्णय राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी हैं । प्रकरण में वारिसान की जांच जहॉ किसी सक्षम न्यायालय में विचाराधीन हो और उक्त तथ्य के बावत ही अन्य न्यायालय में प्रक्रिया प्रारंभ की जावें तो विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त हैं कि समान पक्षकारान में समान बिन्दु बावत समान दो प्रोसींडिग लम्बित हो तो प्रथम प्रोसीडिंग के निराकरण तक वाद की प्रोसीडिंग को स्थागित किया जाना

कानुनन अभिप्रेत हैं । माननीय वरिष्ठ न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त है कि जहॉ विवादित भूमि के संबंध में स्वत्व के संबंध में सिविल लेटीगेशन विचाराधीन हों वहॉ नामांतरण की प्रक्रिया स्थागित किया जाना ही न्यायोचित हैं, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त न्याय दृष्टान्त को गौर नहीं किया और न तत्संबंधी उल्लेख आलोच्य आदेश में ही दिया गया। तदानुसार अधीनस्थ न्यायालयों का आलोच्य निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदिका के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया । आवेदिका द्वारा उक्त नामांतरण प्रकरण को सिविल न्यायालय में वाद प्रचलित होने से नामांतरीण प्रकरण स्थागित किये जाने का निवेदन किया गया, जबकि न्याय सिद्धांतों के अनुसार राजस्व न्यायालय की कार्यवाही सिविल न्यायालय से स्थंगन होने पर ही रोकी जा सकती है । नायब तहसीलदार द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 04.04.03 में कोई त्रुटि नहीं की गई है और अपर कलेक्टर ने उक्त आदेश को यथावत रखकर उचित आदेश पारित किया है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा अपर कलेक्टर, भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.02.04 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर